भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1060
जिसका उत्तर गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधिकरण में रिक्तियाँ

1060. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में रिक्तियों का न्यायाधिकरण-वार आँकड़ा क्या है ;

(ख) लगातार रिक्तियाँ बने रहने/नियुक्ति में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सृजित और भरी गई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी हां । जानकारी संकलित की गई है और **उपाबंध क** के अनुसार है ।

उपाबंध-क

	(क) अधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में रिक्तियों का अधिकरण-वार डेटा	(ख) रिक्तियों के बने रहने/नियुक्ति में देरी के कारण;	(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सृजित और भरी गई रिक्तियों के ब्यौरे
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	(see tables below)	सदस्यों की रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर रिक्तियों को भरा जाता है। जहां तक एनसीएलटी का संबंध है, वर्ष 2021 में, 20 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी और 2022 में, 15 सदस्यों की नियुक्ति को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिनमें से 11 ने पहले ही पदभार ग्रहण कर लिया है । शेष रिक्तियों के लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार, एनसीएलएटी में, वर्ष 2022 में 05 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, और तत्पश्चात् की रिक्तियों के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।	(see tables below)

(क)

एनसीएलटी

क्र.सं.	**पद नाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
1	न्यायिक सदस्य	13
2	तकनीकी सदस्य	11
	कुल	24

एनसीएलटी

क्र.सं.	**पद नाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
1	न्यायिक सदस्य	1

(ग)

एनसीएलटी (स्वीकृत संख्या -**01** अध्यक्ष और **31** तकनीकी सदस्य)

वर्ष	**सृजित रिक्तियां (सदस्य)**	**भरी गई रिक्तियां (सदस्य)**	**कार्यरत (वर्ष के अंत में)**
2018	0	5	27
2019	8	29	48
2020	7	--	41
2021	14	20	47
2022	20	11	38

एनसीएलएटी (स्वीकृत संख्या **-01** अध्यक्ष**, 05** न्यायिक सदस्य और **06** तकनीकी सदस्य)

वर्ष	**सृजित रिक्तियां (सदस्य)**	**भरी गई रिक्तियां (सदस्य)**	**कार्यरत (वर्ष के अंत में)**
2018	0	0	3
2019	0	5	8
2020	0	3	11
2021	3	-	8
2022	3	5	10

<table>
<tr>
<td>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</td>
<td colspan="2">एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 4(1) के अनुसार, अधिकरण में कम से कम दस लेकिन अधिकतम बीस की शर्त के अधीन रहते हुए पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होंगे। तारीख 12.12.2022 तक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में न्यायिक सदस्यों की स्वीकृत संख्या दस (10) है। 10 न्यायिक सदस्यों की स्वीकृत संख्या में से न्यायिक सदस्यों के चार (04) पद रिक्त हैं।</td>
<td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>भरी गई रिक्तियां</th><th>न्यायिक सदस्यों के रिक्तियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2018 (01.01.2018 को)</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2019 (01.01.2019 को)</td><td>4</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2020 (01.01.2020 को)</td><td>3</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2021 (01.01.2021 को)</td><td>3</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2022 (01.01.2022 को)</td><td>6</td><td>4</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>श्रम और नियोजन मंत्रालय</td>
<td>केंद्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालय/राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर, गौहाटी, मुंबई-I, एनआईटी, चंडीगढ़-II, धनबाद-I, बेंगलुरु, नागपुर, जबलपुर में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हैं और पद अतिरिक्त प्रभार द्वारा धारित किए जा रहे हैं।</td>
<td>भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी के कारण, सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी में पीओ की नियुक्ति वर्ष 2019 से नहीं भरी जा सकी । अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 की अधिसूचना के पश्चात् प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और वर्तमान में, सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी में पीओ के 22 पदों में से 13 पद भरे गए हैं। 8 सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी के लिए अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था विद्यमान है और शेष 01 पद अर्थात्, सीजीआईटी, नागपुर के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपने का प्रस्ताव एसीसी को भेजा गया है।</td>
<td>पिछले 5 वर्षों में उदभूत और भरी गई रिक्तियों का विवरण दिया गया है
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>वर्ष</th><th>उदभूत रिक्ति</th><th>भरी गई रिक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2018</td><td>असनसोल, कानपुर(02)</td><td>कोलकाता, दिल्ली-II, चेन्नई, धनबाद-II, चंडीगढ़-II, जयपुर, एर्नाकुलम, धनबाद-I (08)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2019</td><td>दिल्ली-I, अहमदाबाद, लखनऊ (03)</td><td>जबलपुर, बैंगलोर, मुंबई-I (03)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2020</td><td>मुंबई-II, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर (04)</td><td>कानपुर (01)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2021</td><td>बैंगलोर, चंडीगढ़-II, मुंबई-I, गुवाहाटी (04)</td><td>-</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>5</td><td>2022</td><td>जयपुर, जबलपुर, एर्नाकुलम, धनबाद-I, नागपुर (05)</td><td>भुवनेश्वर, चंडीगढ़-I, आसनसोल, दिल्ली-I, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई-।। (09)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>वित्त मंत्रालय (डीआरटी)</td>
<td>
आरडीबी अधिनियम, 1993 की धारा (4) के अनुसार, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में केवल एक व्यक्ति सम्मिलित हैं, जिसे पीठासीन अधिकारी (पीओ) कहा जाता है और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ।
तारीख 13.12.2022 तक, रिक्तियों का अधिकरण-वार डेटा निम्नानु है: -

डीआरटी में पीठासीन अधिकारी के चार (04) पद रिक्त हैं
<table>
<tr><td>क्र स</td><td>अधिकरण का नाम</td><td>पद नाम</td><td>स्वीकृत पद</td><td>कार्यरत</td><td>रिक्त</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)</td><td>पीठासीन अधिकारी (पीओ)</td><td>39</td><td>35</td><td>4#</td></tr>
</table>
(i) डीआरटी, मदुरै, (ii) डीआरटी-2, दिल्ली, (iii) डीआरटी-3 कोलकाता और (iv) डीआरटी-2, कोलकाता।
</td>
<td>
<table>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>डीआरटी का नाम</td><td>रिक्ति की तारीख</td><td>विभाग द्वारा टिप्पणियां</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>डीआरटी-2 दिल्ली</td><td>01.11. 2022</td><td>पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार सभी चारों डीआरटी को सौंपा गया है ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>डीआरटी 2 कलकत्ता</td><td>02.08. 2022</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
पिछले पांच वर्षों के दौरान सृजित और भरी गई रिक्तियों के ब्यौरे
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td>पद नाम</td><td>वर्ष के दौरान रिक्ति सृजित की गई</td><td>वर्ष के दौरान रिक्ति भरी गई</td></tr>
<tr><td>2018</td><td rowspan="5">पीठासीन अधिकारी (पीओ)</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>9</td><td>13</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>16</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>3</td><td>23</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

3.	डीआरटी -3 कलकत्त	16.07. 2022				
4.	डीआरटी मदुरै	21.10. 1				
1.	डीआरटी-2 दिल्ली	01.11. 2022	**पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार सभी चारों डीआरटी को सौंपा गया है।**			

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (डीओपीटी)	कैट में वर्ष 2022 के लिए न्यायिक सदस्यों की 09 रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है और भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा खोज सह खोज समिति (एससीएससी) सर्च के अध्यक्ष- को नामनिर्दिष्ट किया जा चुका है।	पिछले पांच वर्षों के दौरान कैट में उदभूत और भरी गई न्यायिक सदस्यों की रिक्तियों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं :-

क्र.स.	**वर्ष**	**न्यायिक सदस्य की रिवि**		**वर्ष के के व भरी गई**
1	2018	15	06	10
2	2019	11	03	01
3	2020	13	03	00
4	2021	16	03+02*	02
5	2022	17	09	19

*02 जम्मू और श्रीनगर में कैट की नई न्यायपीठों के लिए जेएम के पद सृजित किए गए।

<table>
<tr>
<td>प्रतिभूति अपील अधिकरण (सैट)</td>
<td>न्यायिक सदस्य का कोई पद रिक्त नहीं है</td>
<td>कुछ नहीं</td>
<td>कुछ नहीं</td>
</tr>
<tr>
<td>आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी)</td>
<td>आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) में 13/12/2022 को रिक्ति की स्थिति
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>पद का नाम</th><th>स्वीकृत.पद संख्या</th><th>भरी गई</th><th>रिक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>न्यायिक सदस्य</td><td>63</td><td>45</td><td>18</td></tr>
</table>
</td>
<td>अन्य सरकारी संगठनों की तरह आईटीएटी में रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। समय-समय पर, सरकार सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश जारी करती है और आईटीएटी उसका अनुपालन करता है।</td>
<td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>न्यायिक सदस्य की रिक्ति</th><th>भरी गई</th></tr>
<tr><td>2018</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>1</td><td>--</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>1</td><td>--</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>6</td><td>11</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>2</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>रेलवे दावा अधिकरण (आरसीटी)</td>
<td>रेलवे दावा अधिकरण (आरसीटी) में 13/12/2022 को रिक्ति की स्थिति
<table>
<tr><th>क्र सं.</th><th>पद का नाम</th><th>स्वीकृत</th><th>कार्यरत</th><th>रिक्त</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उपाध्यक्ष (न्यायिक)</td><td>02</td><td>00</td><td>02</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>न्यायिक सदस्य</td><td>20</td><td>04</td><td>16</td></tr>
</table>
</td>
<td>आरसीटी में रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और न्यायालय संबंधी मामलों और अन्य प्रशासनिक कारणों से पदों को नहीं भरा जा सका ।

उपाध्यक्ष (न्यायिक) के दो पद, उपाध्यक्ष (तकनीकी) के दो पद, न्यायिक सदस्य के 16 पद और तकनीकी सदस्य के सात पदों के लिए 31.12.2022 तक विद्यमान और संभावित रिक्तियों के लिए रिक्ति की सूचना तारीख 18.09.2022 को जारी की गई थी । माननीय श्री न्यायमूर्ति बी.आर.गवई, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में खोज-सह-चयन-समिति द्वारा चयन प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया गया है और इसकी सिफारियों को एसीसी के अनुमोदन के लिए डीओपीटी को भेजा गया है जो अभी प्रतीक्षित है ।</td>
<td>
<table>
<tr><th>क्र स</th><th>पद का नाम</th><th colspan="2">2018</th><th colspan="2">2019</th><th colspan="2">2020</th><th colspan="2">2021</th><th colspan="2">2022</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>रिक्त</td><td>भरा</td><td>रिक्त</td><td>भरा</td><td>रिक्त</td><td>भरा</td><td>रिक्त</td><td>भरा</td><td>रिक्त</td><td>भरा</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अध्यक्ष</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>उपाध्यक्ष</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			3	उपाध्यक्ष (तकनीकी)	2	1	2 (1+1)	1	1	0	2	0	2	0
			4	न्यायिक सदस्य	11	0	11	0	20 (11+9)	0	20	4	16	0
			5	तकनीकी सदस्य	2	0	12 (2+10)	0	16	13	7 (3+4)	0	7	0

<table>
<tr>
<td>दूरसंचार मंत्रालय, दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)</td>
<td>वर्तमान में, टीडीएसएटी में अध्यक्ष/सदस्यों की कोई रिक्ति नहीं है ।</td>
<td>पिछले पांच वर्षों के दौरान, टीडीएसएटी में सदस्यों के दो पद तारीख 12.05.2018 और 19.10.2019 को रिक्त हो गए थे और क्रमशः, तारीख 13.09.2021 और 15.06.2022 को भरे गए ।</td>
</tr>
<tr>
<td>रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी)</td>
<td>एएफटी में 34 सदस्यों (अध्यक्ष सहित 17 न्यायिक सदस्य और 17 प्रशासनिक सदस्य) के पद स्वीकृत किए हैं । मंत्रालय, एएफटी में सदस्यों की नियुक्ति के लिए भरसक प्रयास करता रहा है । इस मंत्रालय द्वारा 24 रिक्तियों (12 न्यायिक सदस्य और 12 प्रशासनिक सदस्य) को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और तत्पश्चात् एएफटी की विभिन्न न्यायपीठों में 23 सदस्यों (11 न्यायिक सदस्यों और 12 प्रशासनिक सदस्यों) की नियुक्ति के लिए 01.12.2022 को पत्र जारी किए गए थे ।</td>
<td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th colspan="2">रिक्तियां हुईं</th><th colspan="2">रिक्तियां भरी गई</th></tr>
<tr><td>2018</td><td>03</td><td>03</td><td>02</td><td>02</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>06</td><td>04</td><td>01</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>शून्य</td><td>02</td><td>01</td><td>05</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>शून्य</td><td>01</td><td>03</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>02</td><td>01</td><td>04</td><td>04</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>एनसीडीआरसी, उपभोक्ता मामले मंत्रालय</td>
<td>एनसीडीआरसी में नियुक्तियां अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाती है । इसी प्रकार,</td>
<td>वर्तमान में, एनसीडीआरसी में केवल 1 रिक्ति विद्यमान है (रिक्ति होने की तारीख – 10.05.2021) ।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अधीन बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र और हटाया जाना) नियम, 2020, राज्य आयोगों और जिला आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।</td>
<td colspan="2">उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने 1 विद्यमान रिक्ति और जून, 2023 में उद्भूत होने वाली सदस्यों की 4 प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही रिक्ति परिपत्र जारी कर दिया है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>विद्युत अपील अधिकरण (एपीटीईएल)</td>
<td colspan="3">एपीटीईएल के न्यायिक सदस्य का पद पिछले पदधारी अर्थात् न्यायमूर्ति आर के गौबा द्वारा 3 साल के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् तारीख 4.12.2022 को रिक्त हो गया था। इस प्रत्याशित रिक्ति के संदर्भ में, रिक्ति परिपत्र (वीसी) तारीख 29 अप्रैल, 2022 को नए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया था। तारीख 2.12.2022 की अधिसूचना के द्वारा खोज-सह-चयन समिति का भी गठन किया गया है। पद शीघ्र भरे जाने की संभावना है।
इससे पूर्व यह पद तत्कालीन न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति एन.के.पाटिल का कार्यकाल पूरा होने पर तारीख 2.5.2019 से तारीख 3.12.2019 तक रिक्त पड़ा था। अधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति करते समय कभी-कभी अनुमोदन प्रक्रिया में समय लगता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>सीईएसटीएटी, राजस्व विभाग</td>
<td>सीईएसटीएटी, राजस्व विभाग में तारीख 14/12/2022 को रिक्ति की स्थिति
<table>
<tr><td>अधिकरण</td><td>सीईएसटी एटी</td><td>एसएएफईएमए के अधीन अपील अधिकरण भरी गई</td></tr>
<tr><td>रिक्तियां</td><td>07</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>सीईएसटीएटी</td><td>एसएएफईएमए के अधीन अपील अधिकरण</td></tr>
<tr><td>अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य अधिकरण (सदस्यों की अर्हता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2017 और तत्पश्चात् अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2020, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए थे । इसके पश्चात्, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021</td><td>शून्य, वर्तमान में एसएएफईएमए में अध्यक्ष और 4 सदस्यों के सभी पद भरे हुए हैं।</td></tr>
</table>
</td>
<td>वर्ष 2022 के लिए, सेसटेट के संबंध में एक सदस्य (न्यायिक) का पद रिक्त है और एसएएफईएमए के अधीन अपील अधिकरण के संबंध में, चार सदस्यों के पद रिक्त हैं।</td>
</tr>
</table>

		की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम 2021 अधिसूचित किए गए थे। इसके पश्चात्, विद्यमान और प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और अंतिम आदेश जारी किए जाने हैं।		

****